

निविदा प्रपत्र

(ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन अधिनियम 2016 के अन्तर्गत यथासंशोधित)

नगर पंचायत ऊखीमठ के चारी तोक के समीप लीगेसी वेस्ट
निस्तारण / डम्पसाईट रेमेडियेशन वर्क।

नगर पंचायत ऊखीमठ, जनपद
रूद्रप्रयाग।

E-mail-npukhimath@gmail.com

Website- www.npukhimath.in



टेण्डर/कोटेशन फार्म

नियम 18 (1) सा0नि0नियमों के अन्तर्गत

नगर पंचायत ऊखीमठ।



कार्य का नाम—

ठेकेदार का नाम—

पंजीकरण जिस विभाग का है—

जी0एस0टी0नं0—

ठेकेदार के लिए आवश्यक निर्देश

6. प्रत्येक कार्य की सूचना अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत ऊखीमठ, जनपद रुद्रप्रयाग, के सूचना पट पर चस्पा है।
7. प्रारूप पत्र नगर पंचायत ऊखीमठ में उचित मूल्य पर उपलब्ध होंगे।
8. प्रत्येक टेण्डर/कोटेशन शील मुहर बन्द लिफाफे पर दिया जायेगा।
9. प्रत्येक टेण्डर/कोटेशन फार्म में अपनी दर स्पष्ट तथा अंको तथा शब्दों में उलेख करना होगा।
10. एक कार्य के लिए एक ही टेण्डर/कोटेशन फार्म प्रयोग किया जायेगा।

कार्य का विवरण—

4. कार्य का नाम—

5. अनुमानित पूंजी—

6. प्रतिभूति धनराशि—

मैं संलग्न दरों पर निविदा लेना स्वीकार करता हूं।

निविदा दाता का हस्ताक्षर

नाम—

पूरा पता टेलीफोन नं0 सहित—

निविदा की शर्तों :-

- 1- यह कि उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति अधिनियम 2017 के अनुसार निविदादाता द्वारा धरोहर धनराशि रू0 50,000. हजार की एफ0डी0आर0, सी0डी0आर, डाकघर बचत पासबुक, एन0एस0सी0 अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत ऊखीमठ, रुद्रप्रयाग के पदनाम से बंधक कर अनिवार्य रूप से देना होगी।
- 2- यह कि निविदा प्रपत्र में अपना नाम, पता, व्यापार करने का स्थान, टेलीफोन नं0, ई-मेल का विवरण अंकित करना आवश्यक होगा।
- 3- यह कि सशर्त एवं ओवर राईटिंग/कटिंग वाली निविदाएँ स्वीकार नहीं होगी।
- 4- यह कि किसी एक या समस्त निविदाओं को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार मा0 अध्यक्ष, निविदा समिति नगर पंचायत ऊखीमठ को होगा।
- 5- यह कि निविदा प्रपत्र नगर पंचायत ऊखीमठ, रुद्रप्रयाग के कार्यालय से स्वयं अथवा अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा ही क्रय किया जायेगा। अधिकृत प्रतिनिधि का प्रमाण पत्र लगवाया जाना अनिवार्य है।
- 6- यह कि फर्म/डीलर की न्यूनतम निविदा दर स्वीकृत होने के पश्चात निर्धारित स्टाम्प पेपर 3 दिन के अन्दर प्रस्तुत कर नगर पंचायत ऊखीमठ, रुद्रप्रयाग के साथ अनुबन्ध करना होगा।
- 7- यह कि फर्म/डीलर को आयकर एवं जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण पत्र निविदा के साथ देने होंगे। साथ ही जी0एस0टी0 का नोडयूज प्रमाण पत्र निविदा से पूर्व का संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 8- यह कि निर्माता कम्पनी या डीलर/फर्म को विगत 3 वित्तीय वर्ष (2022-23, 2023-24, एवं 2024-25) के आयकर रिटर्न की प्रति निविदा के साथ देने होंगे।
- 9- यह कि निविदा के साथ निर्माता कम्पनी का विगत 03 वर्ष का टर्नओवर 50 लाख तथा हैसियत प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 10- यह कि निर्माता कम्पनी या फर्म/डीलर द्वारा उत्तराखण्ड के विभिन्न निकायों एवं अन्य विभागों में विगत 03 वर्ष के अनुभव प्रमाण पत्रों को निविदा के साथ संलग्न करने होंगे।
- 11- यह कि फर्म/डीलर को रू0 10.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर रू0 1.00 का रसीदी टिकट लगाकर हस्ताक्षर युक्त निविदा के साथ देना होगा, नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर उत्तराखण्ड राज्य का ही मान्य होगा।
- 12- यह कि निर्माता एवं निविदादाता द्वारा आपूर्तिकर्ता को कम्पनी/फर्म को इस आशय का शपथ-पत्र रुपये 100.00 के स्टाम्प पेपर पर देना होगा कि किसी सरकारी विभाग/अर्द्धसरकारी विभाग द्वारा उसे विगत 05 सालों में ब्लैकलिस्टेड न किया गया हो।
- 13- निविदा प्रपत्र मूल रूप से नगर पंचायत ऊखीमठ रुद्रप्रयाग एवं कार्यालय की वेबसाइट www.npukhimath.in से क्रय किया गया ही मान्य होगा।
- 14- यह कि निविदा में दी जाने वाली दरों के साथ केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के सभी कर (आयकर एवं जी0एस0टी0) का उल्लेख करना आवश्यक होगा।
- 15- यह कि वित्तीय निविदा की दरों को समस्त कर सहित अंको व शब्दों दोनों में पठनीय व स्पष्ट रूप से लिखा जाये।
- 16- यह कि तकनीकी बिड व वित्तीय बिड अलग-अलग लिफाफों में रखी जानी होगी, उक्त दोनों लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में रखना होगा, उसमें आवेदित के नाम सहित प्रस्तुत किया जाना होगा। तकनीकी बिड के लिफाफे पर तकनीकी बिड लिखा जाना अनिवार्य होगा, तथा वित्तीय बिड के लिफाफों में वित्तीय बिड लिखा जाना अनिवार्य है।
- 17- निर्माता एवं निविदादाता के पास उत्तराखण्ड की किसी भी निकाय में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए।
- 18- यह कि फर्म/कम्पनी का उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में पंजीकृत होना अनिवार्य है।
- 19- यह कि फर्म/डीलर को उत्तराखण्ड उद्योग विभाग का लाईसेंस एवं कम्पनी द्वारा अधिकृत फर्म/एम0एस0एम0ई0/डीलर का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।
- 20- यह कि एम0आर0एफ0 सेन्टर में कार्यरत पर्यावरण मित्रों की सुरक्षा निविदादाता की होगी। ठेकेदार/निविदादाता के कार्मिकों के साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो मुआवजे आदि भुगतान की जिम्मेदारी स्वयं फर्म/ठेकेदार की होगी।
- 21- यह कि एम0आर0एफ0 सेन्टर में लगी मशीनों में कोई खराबी आती है तो सम्बन्धित फर्म/निविदादाता के द्वारा ठीक/पुनःसंचालन किया जायेगा।



- 22— यह कि कार्य सन्तोष जनक न पाये जाने की स्थिति में किसी भी समय निविदा समिति के द्वारा अनुबन्ध को निरस्त किया जायेगा, निविदादाता को जिसमें किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी साथ ही न्यायालयी विवाद हेतु जनपद रुद्रप्रयाग ही मान्य रहेगा।
- 23— यह कि, उपरोक्त कार्य की समयावधि 06 माह के लिये अनुमन्य की जायेगी, तथा इसको बढ़ाने/अग्रसारित किये जाने का समस्त अधिकार इस कार्यालय में निहित होगा।
- 24— यह कि शासन द्वारा समय समय पर पर्यावरण मित्रों हेतु स्वस्थ लाभ, मेडिकल चैकिंग व अन्य समस्त आदेशों का पालन फर्म/निविदादाता द्वारा करना होगा।
- 25— उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं०— 223817 दिनांक 10.07.2024 के क्रम में निविदा में प्रतिभाग करने से पूर्व सम्बन्धित फर्म/निविदाकार को जी०एस०टी० सम्बन्धी अदेय प्रमाण पत्र No Dues Certificate तथा समस्त देय विवरण Statement एवं विवरण Return जमा होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होंगे। अनुपालन नहीं किए जाने की दशा में सम्बन्धित निविदाकार को निविदा में प्रतिभाग किए जाने हेतु अनर्ह Ineligible घोषित किया जाएगा।

घोषणा पत्र

मैंने/हमने उपरोक्त सभी शर्तें एवं आवश्यक सूचनायें जो निविदा पत्र के साथ प्राप्त हुई हैं, को भली प्रकार से पढ़कर समझ ली हैं। मुझे/हमें सभी शर्तें स्वीकार हैं एवं वर्णित शर्तों/निर्देशों का पालन करने हेतु सहमत है।

निविदा दाता के हस्ताक्षर—
निविदा दाता का नाम पता सहित—
मोबाईल न०—



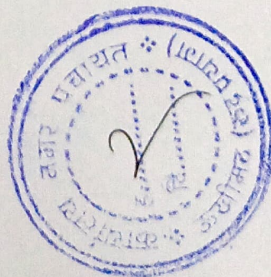
पत्रता एवं मापदण्ड:-

1.	फर्म/डीलर को आयकर एवं जी0एस0टी0 पंजीकरण एवं जी0एस0टी0 का नोडयूज प्रमाण पत्र निविदा से पूर्व का संलग्न करना अनिवार्य होगा।
2.	निर्माता कम्पनी या डीलर/फर्म को विगत 3 वित्तीय वर्ष (2022-23, 2023-24, एवं 2024-25) के आयकर रिटर्न किया जाना अनिवार्य है।
3.	निर्माता कम्पनी का विगत 03 वर्ष का टर्नओवर 50 लाख तथा निविदादाता को हैसियत प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4.	निर्माता एवं निविदादाता के पास उत्तराखण्ड की किसी भी निकाय में कार्य करने का अनुभव होना अनिवार्य रूप से होना चाहिए।
5.	फर्म/कम्पनी का उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में पंजीकृत अनिवार्य रूप से होना चाहिये।
6.	फर्म/डीलर को उत्तराखण्ड उद्योग विभाग का लाईसेन्स एवं कम्पनी द्वारा अधिकृत फर्म/एम0एस0एम0ई0/में पंजीकरण होना अनिवार्य है।

घोषणा पत्र

मैंने/हमने उपरोक्त सभी पात्रता मापदण्ड एवं आवश्यक सूचनाओं, को भली प्रकार से पढ़कर समझ ली हैं। हमारी फर्म/कम्पनी के द्वारा उपरोक्त सभी पात्रता मापदण्डों का किया जा रहा है।

निविदा दाता के हस्ताक्षर—
निविदा दाता का नाम पता सहित—
मोबाईल न0—



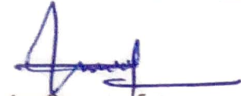
निविदा सूचना (संशोधित)

नगर पंचायत ऊखीमठ में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन अधिनियम 2016 के अन्तर्गत (यथासंशोधित) सभी घटकों का समावेश करते हुये मान्यता प्राप्त फर्मो/प्रा0लि0कम्पनी से लीगेसी वेस्ट निस्तारण/मैनेजमेंट किये जाने हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक मान्यता प्राप्त फर्मो/प्रा0लि0कम्पनी से उपरोक्त कार्य योजना हेतु निविदा प्रकाशन की तिथि से दिनांक 15.05.2026 के अपराहन 01:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है जो उसी दिन अपराहन 02:00 बजे तक जमा की जा सकेगी, तथा उसी दिन (अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर) अपराहन 3:00 बजे से उपस्थित निविदादाताओं/निविदा समिति के समक्ष खोली जायेगी। सशर्त, अपूर्ण, बिलम्ब से प्राप्त होने वाली निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। किसी भी निविदा को बिना कारण बताये स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार निविदा समिति, नगर पंचायत ऊखीमठ, में निहित है। निविदा के साथ जमानत हेतु 50000.00 (पचास हजार रुपये मात्र) की एफ0डी0आर0 जो अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत ऊखीमठ, के नाम बन्धक हो, संलग्न करना अनिवार्य है। निविदा की अन्य नियम/शर्तें किसी भी कार्य दिवस/समय में, कार्यालय नगर पंचायत ऊखीमठ, से भी ज्ञात की जा सकती हैं।

अनिवार्य शर्त:- फर्म/कम्पनी का उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में पंजीकृत होनी अनिवार्य है।

क्र0सं0	कार्य का नाम	मद का नाम	धरोहर राशि	अभियुक्ति
01	नगर पंचायत ऊखीमठ के चारी तोक के समीप लीगेसी वेस्ट निस्तारण/ट्रीटमेंट कार्य।	राज्य वित्त आयोग	50000.00	दरें प्रति टन में मान्य होंगी।

नोट:- उपरोक्त निविदा से सम्बन्धित नियम/शर्तें एवं विस्तृत जानकारी कार्यालय की अधिकारिक वेबसाईट - www.npukhimath.in से प्राप्त कर सकते हैं।

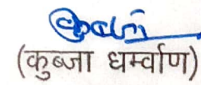


(सुनील वर्मा)

अधिशासी अधिकारी,

नगर पंचायत ऊखीमठ

जनपद रुद्रप्रयाग।



(कुब्जा धर्माणा)

अध्यक्ष

नगर पंचायत ऊखीमठ

जनपद रुद्रप्रयाग।

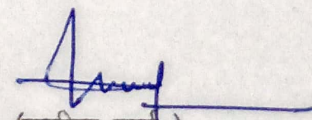
कार्यालय नगर पंचायत ऊखीमठ जिला-रुद्रप्रयाग।

पत्रांक- 61/नं0प0-न0ठो0 अप0- /2026-27

दिनांक 29 अप्रैल 2026।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 -जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग।
- 2 -अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0 ऊखीमठ।
- 3 -उपकोषाधिकारी, कोषागार ऊखीमठ।
- 4 -उपजिलाधिकारी, ऊखीमठ।
- 5- प्रभारी/संवाददाता, हिन्दुस्तान/ दैनिक जागरण को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना का प्रकाशन समाचार पत्र के आगामी अंक में न्यूनतम स्पेस में ही प्रकाशित करते हुए बिल जिला सूचना अधिकारी से प्रमाणित करवाकर बिल, समाचार पत्र प्रतियों के साथ भुगतानार्थ इस कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे।
- 6 -कार्यालय, नोटिस बोर्ड।
- 7 -सम्बन्धित पत्रावली।



(सुनील वर्मा)

अधिशासी अधिकारी

नगर पंचायत ऊखीमठ

जनपद रुद्रप्रयाग।

01c